सरकार ने निलम्बित किए डोडा-पोस्त ठेकों के लाइसेंस

हाईकोर्ट में यह भी बताया कि अस्पतालों के जरिए वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई

जयपुर @ पत्रिका . राज्य सरकार ने अदालती आदेश की पालना में प्रदेश में चल रहे डोडा-पोस्त के ठेकों का लाइसेंस निलम्बित कर दिया है और इसका सेवन करने वालों को अस्पतालों के जरिए वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सरकार के यह जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने आदेश पालना की प्रक्रिया जारी रखने की हिदायत देते हुए सुनवाई 22 सितम्बर तक टाल दी।

मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी व न्यायाधीश अजीत सिंह की खण्डपीठ ने गुरुवार को अराइव सेव सोसायटी की जनहित याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। ठेकाधारियों की ओर से तीन प्रार्थना-पत्र पेश कर इस मामले में पक्षकार बनाने का आग्रह किया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान आबकारी आयुक्त ओ पी यादव हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि 30 जून को अदालत द्वारा डोडा-पोस्त का वितरण अस्पतालों के जरिए करने का आदेश दिया था, इस आदेश की पालना के लिए 6 जुलाई को बैठक की गई और 14 जुलाई को जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। 30 जुलाई को अदालती आदेश के पालन के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे जाने वाले आदेश का प्रारूप भी राज्य सरकार को भेज दिया गया।